जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ

मनरेगा नियुक्ति विज्ञापन संख्या- 01/2020-21

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प संख्या - 4729/ दिनांक 04.06.2007, अधिसूचना संख्या - 6440, दिनांक 17.07.2012 एवं संकल्प ज्ञापांक- (N) 848/दिनांक 21.03.2017 के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अधिनियम के अंतर्गत संविदा आधारित नियुक्ति हेतु ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-(N)1509 (अनु0), दिनांक-12.07.2016, पत्रांक-(N)439 (अनु0), दिनांक-21.02.2018 एवं पत्रांक-(N) 2435 (अनु0), दिनांक- 14.08.2018 के द्वारा प्राप्त निदेशानुसार कार्मिक विभागीय संकल्प पत्रांक-4550, दिनांक- 31.05.2016, पत्रांक- 1112, दिनांक- 08.02.2016 एवं कार्मिक विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3198/दिनांक- 18.04.2016 के द्वारा निर्धारित झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी के पहचान की प्रक्रिया के अनुरूप तकनीकि सहायक(कनीय अभियन्ता के समकक्ष), कम्प्युटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति किया जाना है। रिक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र Online आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों हेतु पदवार वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी सरायकेला-खरसावाँ जिले के **Web Site- www.seraikela.nic.in** पर एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सरायकेला-खरसावाँ कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है

रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0	पद नाम	रिक्तियों की सं0					
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	पि.वर्ग	अनारक्षित	कुल
1	तकनीकि सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	0	2	0	1	0	3
2	कम्प्युटर सहायक	0	2	0	0	0	2
3	ग्राम रोजगार सेवक	0	3	1	0	7	11

नोट - आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की कोटिवार संख्या में आवश्यकतानुसार संशोधन हो सकता है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

तकनीकि सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) एवं रोजगार सेवक के पद पर रिक्ति के अलावे पैनल (रोजगार सेवक -100 अभ्यर्थियों) तैयार करने हेतु सभी वर्गो के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पैनल तैयार होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। (नोट - वर्त्तमान में तकनीकि सहायक(कनीय अभिंयता के समकक्ष) के पद पर रिक्ति के अलावे रिक्त होने वाले पद पर नियुक्ति वैध पैनल जिसकी वैधता दिनांक- 25.09. 2020 तक है से की जायेगी। पैनल की बैधता समाप्त होने पर नये पैनल से रिक्ति के विरूद्ध संविदा आधारित नियुक्ति की जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प ज्ञापांक- 3198, दिनांक- 18.04.2016, संकल्प ज्ञापांक- 5938, दिनांक- 14.07.2016, संकल्प ज्ञापांक- 3854, दिनांक- 01.06.2018 तथा संकल्प ज्ञापांक- 8468, दिनांक- 20.11.2018 के आलोक में उपरोक्त रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला के स्थानीय अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अतः इस जिला के योग्य अभ्यर्थियों से निम्न दिशा-निर्देश एवं शर्तों के तहत आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन की प्रक्रिया/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-

आवेदकों को Online विभागीय Recruitment Portal http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन करना है जहाँ नियुक्ति संबंधित संपूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक- 16.07.2020 से प्रारम्भ होकर 04.08.2020 तक भरा जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु शर्त निम्नवत् है :-

1. **शैक्षणिक योग्यता** -

1	तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	1. अनिवार्य योग्यता - सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। 2. अतिरिक्त योग्यता - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0,बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्युटर/ बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर को बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत में 5 क्रमशः घटा दिये जाएगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। (c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जाएगे । पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।
2	कम्प्युटर सहायक	1. अनिवार्य योग्यता - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेगें (1) बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स (2) बी0एस0सी0 कम्प्युटर सामान्य (3) बी0सी0ए0 (4) सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण।

		(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होनें तत्पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा । **2. <u>अतिरिक्त योग्यता</u>** – (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।
3	<u>ग्राम रोजगार सेवक</u>	**1. <u>अनिवार्य योग्यता</u>** – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से इंटरमीडियेट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडियेट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। **2. <u>अतिरिक्त योग्यता</u>** – (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/ पी0जी0डी0सी0ए0 /पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जाएगा। पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। **3.** अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

2. मासिक परिलब्धि/संविदा राशि - ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प ज्ञापांक- (N) 1742, दिनांक- 03.07.2019 के आलोक में मासिक मानदेय निम्न प्रकार निर्धारित है :-

क्र0	पद का नाम	परिलब्धि
1	तकनीकि सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	17,520.00 रू0 (सतरह हजार पाँच सौ बीस) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
2	कम्प्युटर सहायक	10,000.00 रू0 (दस हजार) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
3	रोजगार सेवक	7,500.00 रू0 (सात हजार पाँच सौ) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)

3. <u>आयु सीमा-</u> दिनांक 01.07.2020 को न्युनतम 18 वर्ष तथा अधिकत्तम

		<u>दिव्यांगों के लिए</u>
(क) अनारक्षित वर्ग -	35 वर्ष	40 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग -	37 वर्ष	42 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग) -	38 वर्ष	43 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष) -	40 वर्ष	45 वर्ष

4. <u>राष्ट्रीयता-</u> आवेदक भारत का नागरिक हो।

5. <u>आरक्षण-</u> अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों/दिव्यांगों/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आरक्षण के दावा हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता के दावा हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

   कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या- 5939/ दिनांक- 14.07.2016 के आलोक में इन पदों पर सरायकेला-खरसावाँ जिले के स्थानीय निवासियों की ही नियुक्ति की जायेगी। अतः आवेदन के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा अद्यतन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। अन्यथा उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन सरायकेला-खरसावाँ जिला के किसी प्रखण्ड में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा किया जाएगा। उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम होगा।

7. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

8. प्रारंम्भिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्ण पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

9. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11(ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

10. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की मासिक परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता

11. उक्त सभी पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा, साथ ही अपने आवेदन-पत्र के साथ उन्हें इस आशय का **शपथ पत्र** देना अनिवार्य होगा की झारखण्ड राज्य के अन्य जिलों में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। अर्पित शपथ पत्र कभी भी असत्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
12. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं इसके लिए उन्हें पदवार अलग-अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।
13. प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा तथा प्रारम्भिक मेघा सूची तैयार की जायेगी। ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति प्रारम्भिक मेधा सूची से की जायेगी। तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद पर प्रारम्भिक मेधा सूची में शामिल अभ्यार्थियों का Online दक्षता परीक्षा ली जायेगी। Online दक्षता परीक्षा Qualifying Nature का होगा। Online दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम मेघा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
14. जिला स्तरीय नियुक्ति समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द कर सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय नियुक्ति समिति का होगा।

11/7/20

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ

ज्ञापांक 249../मनरेगा, दिनांक 11/7/20

प्रतिलिपि - जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त सूचना को (सॉफ्ट कॉपी संलग्न) जिले के वेबसाईट-www.seraikela.nic.in पर अविलम्ब प्रदर्शित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपि - अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - श्री यतीन्द्र प्रसाद, सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि नियुक्ति विज्ञापन संख्या- 01/2020-21 विभागीय Recruitment Portal http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर अभ्यर्थियों से Online आवेदन समर्पित करने हेतु Link उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

11/7/20

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ